भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *166
दिनांक 31.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

झारखंड में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन

†*166. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरूआत से झारखंड में कितने ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार को झारखंड के कई जिलों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की धीमी गति की जानकारी है;
(ग) यदि हां, तो वित्तीय, प्रशासनिक या तकनीकी बाधाओं सहित विलंब के क्या कारण हैं;
(घ) सरकार द्वारा राज्य में उक्त मिशन के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(ङ) जनजातीय कार्य मिशन के अंतर्गत जनजातीय बहुल और आकांक्षी जिलों में कितने गांवों को एफएचटीसी प्राप्त हुए हैं;
(च) क्या इन क्षेत्रों को मिशन के अंतर्गत प्राथमिकता दी जा रही है; और
(छ) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित ब्लॉकों के लिए क्या विशिष्ट हस्तक्षेप की योजना है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 31.07.2025 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *166 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जल जीवन मिशन (जेजेएम) आईएमआईएस के अनुसार, 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) की घोषणा के समय झारखंड में केवल 3.45 लाख (5.52%) परिवारों के पास कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) थे। झारखंड में नल कनेक्शनों वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या अब 25.7.2025 तक बढ़कर 34.42 लाख (55.05%) ग्रामीण परिवारों तक पहुंच गई है।

(ख) से (घ): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, निष्पादन/कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों का है। तथापि, जल-संकटग्रस्त, सूखा प्रवण, असमान भौगोलिक इलाकों में भरोसेमंद पेयजल स्रोतों की कमी, अलग थलग बसी हुई ग्रामीण बसावटें, कार्यान्वयन एजेंसियों के पास तकनीकी क्षमता की कमी, सांविधिक/अन्य मंजूरी प्राप्त करने में देरी, केंद्रीय निधियों की तुलना में राज्य का समतुल्य हिस्सा जारी करने में विलंब, भूमि उपलब्धता संबंधी मुद्दे आदि राज्यों में मिशन के कार्यान्वयन में देरी के कुछ कारण हैं।

आयोजना और कार्यान्वयन के साथ-साथ निगरानी में तेजी लाने तथा झारखंड सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए, भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से वार्षिक कार्य योजना (एएपी) पर चर्चा करना और उसे अंतिम रूप देना, आयोजना और कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा, क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए कार्यशालाएं/सम्मेलन/वेबिनार आयोजित करना, तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए बहु-विषयक दलों द्वारा क्षेत्र दौरे, आदि शामिल हैं। पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी के लिए, एक ऑनलाइन 'जेजेएम डैशबोर्ड' बनाया गया है, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और गांव-वार प्रगति के साथ-साथ ग्रामीण घरों में नल जल आपूर्ति के प्रावधान की स्थिति प्रदान करता है।

भारत सरकार द्वारा झारखंड सरकार को जल जीवन मिशन के तहत 25.7.2025 तक आवंटित निधियों, आहरित निधियों और उसके संसूचित उपयोग का विवरण इस प्रकार है: -

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	**केन्द्रीय अंश**					**राज्य हिस्से के अंतर्गत किया गया व्यय**
	अथ शेष	**आबंटित निधि**	**आहरित निधि**	**उपलब्ध निधि**	**संसूचित उपयोग**	
2019-20	75.79	267.69	291.19	382.97	114.89	120.78
2020-21	268.08	572.24	143.06	411.14	286.62	177.73

2021-22	124.51	2,479.88	512.22	636.73	437.21	510.99
2022-23	199.52	2,825.52	2,119.14	2,318.66	1,789.85	1,593.00
2023-24	528.81	4,722.76	2,875.35	3,404.16	3,140.70	3,291.53
2024-25	263.46	2,114.22	70.0	333.46	203.56	1,097.60
कुल		**12,982.31**	**6,010.96**	**7,487.12**	**5,972.83**	**6,791.63**

[स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस]

भारत सरकार ने राज्य को वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान 12,982.31 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तथापि, राज्य ने आवंटित निधियों में से केवल 6010.96 करोड़ रुपए (46.30%) का आहरण किया और इस प्रकार, केंद्रीय निधियों में से 6,971.35 करोड़ रुपए का आहरण नहीं हुआ।

(ङ) और (च): जल जीवन मिशन दूरस्थ ग्रामीण परिवारों सहित सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाता है। जल जीवन मिशन के तहत 'कोई भी वंचित न रहे' के सिद्धांत का अनुपालन करते हुए, झारखंड के सभी एससी/एसटी ग्रामीण परिवारों सहित प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए नल जल आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

जेजेएम-आईएमआईएस के अनुसार, कुल 9,510 जनजातीय बहुल गांवों में से 2,252 गांवों को झारखंड में 100% एफएचटीसी से कवर किया गया है। झारखंड के 19 आकांक्षी जिलों के कुल 23,206 गांवों में से 5,707 गांवों को झारखंड में 100% कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए गए हैं।

(छ): जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल के अनुसार, झारखंड राज्य में गिरिडीह, गुमला, लातेहार, लोहरदगा और पश्चिमी सिंहभूम की पहचान वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों के रूप में की गई थी। जेजेएम-आईएमआईएस के अनुसार, झारखंड में कुल 13,23,798 परिवारों में से 9,29,713 परिवारों (70.23%) को एफएचटीसी से कवर किया गया है। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की बेहतर निगरानी के लिए जेजेएम एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में एक पृथक रिर्पोटिंग प्रपत्र भी सृजित किया गया है।

****